



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2014/अग्रहायण 6, 1936

No. 345]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2014/AGRAHAYANA 6, 1936

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 (जी) (आई ए) के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में जमा की गयी राशि को जमा राशियों से छूट के लिए अधिसूचना

मुंबई, 26 मई, 2014

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा, की धारा 2 (जी) (आई ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रत्यायोजन में और रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से इस संबंध में निगम को दिए सभी अधिकारों के अंतर्गत बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 26 ए के प्रावधानों के अनुरूप रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में तथा उक्त अधिनियम की धारा 26 ए की उप-धारा (1) और (5) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रत्यायोजन में रिजर्व बैंक द्वारा बनायी गयी जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 में जमा की गयी राशि को "जमा" शब्द के अर्थ में न लिए जाने की विशेष छूट दी गयी है।

1. "निगम" और "रिजर्व बैंक" अभिव्यक्ति का अर्थ क्रमशः अधिनियम में निर्दिष्ट अर्थ ही होगा।

जसबीर सिंह, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./69क्यू/2014]

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

Notification for exemption of deposits credited to Depositor Education and Awareness Fund in terms of Section 2 (g) (ia) of the DICGC Act, 1961.

Mumbai, the 26th May, 2014

In exercise of the powers conferred by Section 2 (g) (ia) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), hereinafter referred to as "the Act", and of all the powers enabling it in this behalf, the Corporation, with the previous approval of the Reserve Bank, hereby specially exempts from the meaning of the term "deposit", the amounts credited to the Depositor Education and Awareness Fund established by the Reserve Bank in furtherance of the provisions of Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and in accordance with the Depositor Education and Awareness Fund Scheme, 2014 made by the Reserve Bank in exercise of its powers under sub-sections (1) and (5) of Section 26A of that Act.

1. The expressions "Corporation" and "Reserve Bank" shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

JASBIR SINGH, Executive Director

[ADVT. III/4/Exty./69Q/2014]